

RAJYA SABHA

Wednesday, the 16th December,
1998/25 Agrahayana, 1920 (Saka)

The House met at eleven of
the clock.

Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rajiv—Longowal Accord

*241. SHRI KARTAR SINGH
JUGGAL: Will the Minister of
HOME AFFAIRS be pleased to
state:

(a) whether the Rajiv-Longowal
accord is dead or alive;

(b) if alive, further steps have
been taken to implement its unatt-
ended clauses; and

(c) what is the latest position of
Chandigarh disputed territory?

THE MINISTER OF HOME
AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI):

(a) and (b) Rajiv-Longowal Accord
was signed on 24-7-1985 and its
implementation was started immedi-
ately thereafter. The Accord inclu-
ded 11 items, of which only three
items viz. All India Gurdwaras Act,
Territorial Claims, and Sharing of
River Water remain to be imple-
mented.

The Government of India is com-
mitted to resolving the outstanding
issues and to strive for a compre-
hensive settlement. Sincere efforts
are being continued to find an
acceptable solution in consultation
with concerned parties.

(c) No decision has been taken so
far in his regard. The Govt. of
India would like the concerned State
Governments to sort out the differ-
ences over the issue amicably and
would be willing to help in the
matter.

SHRI KARTAR SINGH DUG-
GAL: Sir, the hon. Minister's reply,
to say the least, is disappointing. I
had asked this question in the last
session also and the reply given was
that the remaining items on the
Accord were being attended to.
But evidently nothing has been done
in that respect. It only shows the
concern of the so-called Buddhijee-
vis who stand in Punjab for peace
and Hindu-Sikh amity. Now that the
party in power at the Centre has
close and intimate relations with the
Government in Punjab. It is a gol-
den opportunity for them to get to-
gether and solve the outstanding
problems.

As it is, Sir, the Gurdwaras Act
should not pose any problem be-
cause the Gurdwaras outside Punjab
are like a property of a Punjabi
having a house in Delhi. He can
administer that property the way he
likes. The Gurdwara at Patna
Saheb was destroyed completely in
1834 in an earthquake. It was re-
constructed by Maharaja Ranjit
Singh in 1839. Again in 1934 the
Gurdwara was destroyed in an earth-
quake. It was rebuilt by the Chief
Khalsa Diwani, the Sikh Gurdwara
Prabandhak Committee and other
Sikh organisations. Its udghatan
was done by Maharaja of Patiala,
Yadavendra Singh. Similarly, the
Gurdwara at Nanded was construc-
ted in 1839 by Maharaja Ranjit
Singh. Originally, when the Sikh
Misls came into power, they sent a
Jatha and took over the shrine and
then the building came up. It so
happened that Maharaja Ranjit Singh
was invited by the Nawab of Hyde-
rabad to help the State in some
problem which they had in the State.
The Maharaja sent a force of
121,000 soldiers along with a Jatha
of Sikhs and also gave Rs. 5 lakhs.
They constructed a building there.

MR. CHAIRMAN: What is your
specific question?

SHRI KARTAR SINGH DUGAL: Sir, my question is this. These Gurudwaras belong to Punjab. Therefore, there should be no difficulty in allowing the All India Gurudwaras Act to administer all the Gurudwaras.

SHRI L. K. ADVANI: Sir, the question which the hon. Member has posed relates to the agreement in the Accord about framing an All India Gurudwaras Act. We have inherited this Accord. Even the then Government at that time, felt that it was necessary to consult the concerned State Governments where there are Gurudwaras. I would like to inform the House that the States of Haryana, Maharashtra and Orissa opposed the legislation on this issue. Several other States, like Bihar, which is also concerned with the matter did not offer any comments. Maybe, they had reservations. Even though the Gurudwaras are manned and administered by the representatives of the Sikh community. If an All India Gurudwaras Act has to be undertaken the concerned States is essential. So far as our Government is concerned, we would pursue the same course. We had reservations when the Accord was signed. We had expressed our signed. We had expressed our reservations. Today, I want to say that my Government stands by the Accord and the Government would try to see that the outstanding issues are also sorted out in a manner which is acceptable to all. That is all I can say.

SHRI KARTAR SINGH DUGAL: Sir, the other two issues are river water dispute and territorial dispute. So far as the river water dispute is concerned, according to the Indus Water Treaty of 1955, Punjab was to get 7.20 M.A.F. of water. At the time of reorganisation of Punjab in 1966 it was decided that water would be divided between Punjab and Haryana on a mu-

tually agreement basis. But if they fail to come to an agreement, the Union Government would decide the share. They failed to come to an agreement. During the Emergency, Shrimati Indira Gandhi decided that 0.20 M.A.F. of water may be given to Delhi for drinking purpose and the rest 7 M.A.F. of water may be divided between Punjab and Haryana. But this was not acceptable to Punjab. There was a stalemate. The Punjab represented this issue during the regime of Shri Morarji Desai. At that time, it was agreed that the dispute should be referred to the Supreme Court. Before the Supreme Court could give its decision, Shrimati Gandhi came to power again and ordered that the case may be withdrawn from the Supreme Court. Sir, since no headway has been made, why can't this case be referred to the Supreme Court again?

SHRI L. K. ADVANI: Sir, our experience in respect of disputes of this nature is — well, the final arbiter is, of course, the judiciary — as has been illustrated by what was achieved in the matter of the Cauvery, perhaps, if the States sit together along with the Central Government, that will be better way. Given the goodwill of all concerned and the good wishes of this House, maybe, what was achieved in the case of Cauvery, may be achieved in the case of the river water dispute here. But it has to be appreciated that even those who had signed the accord have found it difficult since the last so many years to sort out the differences amongst Punjab, Haryana and Rajasthan, namely, the principal States. We would, however, exert in this direction.

श्री रामजीलाल : सभपति जी, धन्यवाद। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि कुल मद्द 11 से और 11 मद्द में से

8 मद का फैसला हो चुका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे 8 मद कौन-कौन सी हैं जिनका फैसला हो चुका है? जो तीन मद बाकी हैं उनके बारे में आपने बताया ही है। इसके बारे में, मैं कहना चाहूंगा—जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि फैसला तो 15 साल पहले हुआ था कि हरियाणा को 3.84 एमएएफ पानी दिया जाएगा और उस वक्त पंजाब में अकाली सरकार थी, बादल साहब सी०एम० थे और अब भी हैं। हरियाणा ने 2 करोड़ रुपये पंजाब को नहर खोदने के लिए, जमीन एकत्रायर करने के लिए दिए और हरियाणा ने अपनी 122 किलोमीटर नहर बना ली है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंजाब का पानी पाकिस्तान को जा रहा है जबकि हमारी पोलिसी है कि 10 साल में आपने प्रोडक्शन को दुगुना करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी पानी का समला हल होना चाहिए क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है। आबादी के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और अभी भी हमारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। क्या मंत्री जी इस मामले को जल्दी से कोई हल निकालेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारी वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री इस मामले में कोशिश कर रही है कि इस बात का भी समझौता हो जाए और सरप्लस राबी-ब्यास वाटर जो है वह हरियाणा को भी प्राप्त हो और जो पानी व्यर्थ चला जा रहा है वह न जाए, इस दिशा में प्रयत्न चल रहे हैं।

श्री रामजीलाल : आप 8 मदों उनके नाम बताएं जिन 8 मदों का फैसला हो चुका है वह कौन-कौन सी हैं? आपने कहा है 11 मदों में से 8 मदों पर फैसला हो चुका है और तीन बकाया हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अगर 8 मदों के नाम गिनाऊ तो मोटे तौर पर पहला है—

compensation to innocent persons killed;

दूसरा है—

in the matter of army recruitment;

तीसरा है—

in the matter of inquiry into November incidents;

चौथा है—

rehabilitation of those discharged from the Army;

पांचवां है—

disposal of pending cases;

छठा है—

Centre-State relations;

सातवां है—

representation of minorities; and

आठवां है—

promotion of Punjabi language.

श्री कुलदीप नैयर : क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि उस वक्त जब यह समझौता हुआ था, एक यह भी अंडरस्टैंडिंग थी कि रामगढ़ में जो सिपाही डिसीप्लीन के बाहर गए तो उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाद में कितने सौजस को वापस लिया गया और कितने अभी तक बाहर हैं या उनको क्या-क्या सजा दी गई?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अकाउंट करते समय राजीव सरकार और लॉगोवाल जी के बीच — इस प्रकार का कोई समझौता हुआ था या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बारे में मुझे जानकारी करनी पड़ेगी....

I am replying in this House on the basis of the records available. But I will, certainly, find out in this regard.

श्री गया सिंह : माननीय सभापति जी, मैं इस सवाल के लास्ट पार्ट के बारे में मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अभी पंजाब में अकाली सरकार है और हरियाणा में आपकी सपोर्टर सरकार है फिर यह चण्डीगढ़ का सवाल अभी तक हल क्यों नहीं हुआ है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझता हूँ कि जिस समय हमारी यह सरकार बनी थी, उस समय भी इस चर्चा का थोड़ा सा उल्लेख हुआ था जब हम अपना नेशनल एजेंडा बना रहे थे और तब भी हमारी ओर से सबको यह कहा गया कि इन्टर स्टेट डिस्प्यूट इस सरकार के माध्यम से हल करेंगे, ऐसा सोचना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए जितने बारे

ऐसे इन्टर स्टेट प्रॉब्लम्स थे, उनका जिक्र हमने एजेंडा में नहीं किया क्योंकि हरेक का अपना-अपना दृष्टिकोण था। लेकिन बावजूद इसके यह बात तो सही है कि यह डिस्प्यूट्स सॉल्व्ड हो जाए तो यह देश के हित में होगा। हमारी इस सरकार का एजेंडा न होते हुए भी हमारा इस दिशा में ज़ोर प्रयास होगा कि ये सफ़ाकारें और उनके प्रतिनिधि बैठकर के इसको हल करें।

*242. (The questioner (Shri Kar-nendu Bhattacharjee) was absent, for Answer, vide col.infra.)

*243. (The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent, for Answer, vide col.infra.)

कारगिल तथा उसके आसपास के गांवों की सुरक्षा

*244. श्री कुशोक नवांग चम्बा स्तनजिन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल शहर तथा उसके आस-पास के गांवों के लोगों को इन क्षेत्रों में हो रही पाकिस्तानी गोलाबारी से संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) कारगिल-दरस राजमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या ज्यादा समय तक खुले रहने वाले स्पीति-किबेर (एच०पी०) में होते हुए एक नई सड़क के निर्माण हेतु, जिसके लिए लद्दाख के लोगों द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है, सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) :

(क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर ने की जाने वाली किसी भी प्रकार की गोलाबारी का समुचित जवाब देती है। हमारी तोपें प्रभावी गोलाबारी करके दुश्मन की शस्त्र-प्रणालियों को अवरोध निष्प्रभावी कर देती हैं। इसके अतिरिक्त,

सिविलियन आबादी को संरक्षण दिए जाने को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रशासन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आश्रय और बंकर उपलब्ध कराता है।

कारगिल-दरस राजमार्ग की सुरक्षा के लिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(क) जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान प्रभावी गोलाबारी करता है, उनके पास से स्थानीय उप-मार्ग बनाने और दीवारें खड़ी करने की योजना बनाई गई है तथा इस कार्य का एक भाग पूरा भी हो चुका है।

(ख) किसी भी प्रकार को दुर्घटना से बचने के लिए आपूर्ति कारवाय और अन्य प्रकार के वाहनों का आवागमन सेना द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) दरस-उम्बाला-शखु-कारगिल से गुजरते हुए एक बड़े उप-मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है। इस उप-मार्ग के छः किलोमीटर तक का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है।

इस समय लेह से मनाली तक किसी प्रकार की नई सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कुशोक नवांग चम्बा स्तनजिन :

चेयरमैन सर, पिछले एक साल से कारगिल शहर व इसके आस-पास के गांवों में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी हो रही है जिसकी वजह से वहां के लोगों की बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। वहां पर जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से चंद सवाल करना चाहूंगा। पहला यह है कि सरकार की ओर से कारगिल शहर और उसके पास के गांवों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ? दूसरा सवाल यह है कि सरकार की ओर से कारगिल-दरस-हाईवे को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तीसरा सवाल है लेह-श्रीनगर और लेह-मनाली हाईवे सात महीने के लिए बन्द हो जाने के कारण देश के दूसरे इलाकों से क्या रहा है। इसका लिए लद्दाख के बहुत सारे सिपायियों और धार्मिक संस्थाओं ने बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अनुरोध किया कि स्पीति किबेर, जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला